न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 62/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स आशीष गैस सर्विस मिश्रा मार्केट, सांगानेरी गेट, जयपुर।
2. श्री रामेश्वर प्रसाद नाटाणी पुत्र श्री गौरीशंकर नाटाणी, मालिक फर्म डी 122, जनता कॉलोनी, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 21-02-2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री वी.के माथुर अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री गोविन्द नारायण मीणा, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 31.10.2005 को गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण तथा दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु आशीष गैस सर्विस पहुंचे। मौके पर एचपीसी के 30 भरे सिलेण्डर, आईओसी का 01 सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.), कुल 31 सिलेण्डर भरे हुये तथा 26 एचपीसी के खाली सिलेण्डर (क्षमता 14.2 कि.ग्रा.) कुल 57 गैस सिलेण्डर्स का अवैध भण्डारण होना पाया गया। मौके पर कम्पनी के हॉकर्स के पास कोई वितरण रिकॉर्ड नही था एवं इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 23.10.2007 द्वारा जब्तशुदा सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश जारी हुये। जिसकी अपील माननीय न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) क्रम –3 द्वारा निर्णय दिनांक 08.09.2008 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (लाईसेंसिंग एवं वितरण) आदेश, 1990 के आदेश के उपर केन्द्र सरकार का आदेश वर्ष 2000 ओवरराईडिंग प्रभाव होने का तर्क देते हुये प्रकरण के संबंध में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रार्थना पत्र पुनः प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा प्रार्थी जिला रसद अधिकारी से रिपोर्ट ली गई, जिला रसद अधिकारी, प्रथम जयपुर ने अपने पत्रांक 2023 दिनांक 20.12.2022 में अंकित किया है कि अवाश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत उत्पादन, आपूर्ति वितरण इत्यादि को नियंत्रण एवं विनियमित करने के लिये केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा एलपीजी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के आने बाद राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 बनाये गये है। राज्य सरकार की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3 के तहत बनाये जाने वाले आदेश/अधिसूचना के लिये शक्तियां प्रदत्त की हुई है। एलपीजी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 केन्द्रीय सरकार का आदेश है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, तथा उक्त आदेश के खण्ड 14 के प्रावधानानुसार यह आदेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी भी आदेश पर अधिरोपित होता है अर्थात किसी भी बात के होते हुये उक्त आदेश के प्रावधान ही प्रभावी होगे। इसलिये दोनो आदेशों को लागू करने में कोई विरोधाभाष नही हो सकता है। उक्त दोनो आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रवृति के किसी भी मामले में कार्यवाही करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में कार्यवाही की जाती है। इसलिये इसमें कोई विरोधाभाष नही है। राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत एलपीजी के किसी भी डीलर को राज्य की सीमा के अर्न्तगत ट्रैड का लाईसेन्स लिया जाना अनिवार्य है। लाईसेन्स की शर्तें एवं मूल आदेश के खण्ड का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार/प्राधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी को शाक्तियां प्राप्त है तथा यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बना होते के कारण आपराधिक प्रवृति के मामले में न्यायालय के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये प्रभुत्व सम्पन्न है। जिला रसद अधिकारी का शपथ पत्र संलग्न है।

अप्रार्थी/अधिवक्ता लगातार लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 14.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 31.10.2005 को जब्त घरेलू सिलेण्डर्स का अवैध भण्डारण तथा दुरुपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर कम्पनी के हॉकर्स के पास कोई वितरण रिकॉर्ड नही था, जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध वाणिज्यिक उपयोग एवं भण्डारण किया जाना सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। एलपीजी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 केन्द्रीय सरकार का आदेश है, जिसे राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है, तथा उक्त आदेश के खण्ड 14 के प्रावधानानुसार यह आदेश राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी भी आदेश पर अधिरोपित होता है अर्थात किसी भी बात के होते हुये उक्त आदेश के प्रावधान ही प्रभावी होगे। इसलिये दोनो आदेशों को लागू करने में कोई विरोधाभाष नही हो सकता है। उक्त दोनो आदेश के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर आपराधिक प्रवृति के किसी भी मामले में कार्यवाही करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में कार्यवाही की जाती है। इसलिये इसमें कोई विरोधाभाष नही है। राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत लाईसेन्स की शर्ते एवं मूल आदेश के खण्ड का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये राज्य सरकार/प्राधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी को शक्तियां प्राप्त है तथा यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत बना होने के कारण आपराधिक प्रवृति के मामले में न्यायालय के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये प्रभुत्व सम्पन्न है। जब तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्यक् दस्तावेजात और साक्ष्य के साथ सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि उनके द्वारा संधारित सिलेण्डर्स वैध हैं, तब तक उन्हें छोडा जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त एचपीसी के 30 भरे सिलेण्डर, आईओसी का 01 सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा.), कुल 31 सिलेण्डर भरे हुये तथा 26 एचपीसी के खाली सिलेण्डर (क्षमता 14.2 कि.ग्रा.) कुल 57 गैस सिलेण्डर्स को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।